न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 62/2022

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. डूंगराराम उर्फ दुर्गाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी चिपड़ी नाडी नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. करनाराम गोदपुत्र भूराराम 2. जीवणाराम पुत्र धनाराम 3. धीमाराम पुत्र धनाराम 4. भैराराम पुत्र धनाराम 5. मेगाराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी चिपड़ी नाडी नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री नारायण कुमावत प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री चिमनसिंह चौधरी विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी सं. 6 की ओर से नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 25.09.2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण के खातेदारी ग्राम चिपड़ी नाडी पटवार क्षेत्र नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा संख्या 341 रकबा 69 बीघा 14 विस्वा क्षेत्रफल 11.2775 हैक्टेयर में अवस्थित है कि मूल खसरा संख्या 341 रकबा 140 बीघा 09 विस्वा से प्रार्थी को लिखित बंटवाड़ा से रकबा 69 बीघा 14 विस्वा से [illegible] हुई [illegible] भूमि पर प्रार्थी व उसके पिता लिखित बंटवाड़ा से पहले ही मौका पर काबिज कास्त थे। जिस [illegible] की रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशु बाड़े इत्यादि बने हुए है। लिखित बंटवाड़ा से प्रार्थी [illegible] खसरा संख्या 341 रकबा 69 बीघा 4 विस्वा व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम खसरा संख्या [illegible]/1 रकबा 70 बीघा 15 विस्वा कायम किए गए। जिसमें विप्रार्थीगण के द्वारा 05 विस्वा भूमि पृथक राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण कर दी गई। राजस्व कार्मिकों के द्वारा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खसरा संख्या 341 व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 341/1 की तरमीम कब्जा काश्त,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

लिखित बंटवाडे में अंकित नजरी नक्शा के अनुसार नही कर गलत कर दी गई। लटठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त में भारी असमानता है। अत विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से वकील उपस्थित एवं विप्रार्थी संख्या 6 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राजकीयकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा अपने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खातेदारी ग्राम चिपडी नाडी पटवार क्षेत्र नहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा संख्या 341 रकबा 69 बीघा 14 बिस्वा क्षेत्रफल 11.2775 हैक्टयर अंकित है, कि मूल खसरा संख्या 341 रकबा 140 बीघा 09 बिस्वा से प्रार्थी को लिखित बंटवाड़ा से रकबा 69 बीघा 14 बिस्वा से प्राप्त हुई उक्त भूमि पर प्रार्थी व उसके पिता लिखित बंटवाड़ा से पहले ही मौका पर काबिज कास्त थे। जिस पर प्रार्थी की रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशु बाड़े इत्यादि बने हुए है। लिखित बंटवाड़ा से प्रार्थी के नाम खसरा संख्या 341 रकबा 69 बीघा 4 बिस्वा व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम खसरा संख्या 341/1 रकबा 70 बीघा 15 बिस्वा कायम किए गए। जिसमें विप्रार्थीगण के द्वारा 05 बिस्वा भूमि पृथक राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण कर दी गई। राजस्व कर्मिकों के द्वारा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खसरा संख्या 341 व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 341/1 की तरमीम कब्जा काश्त, लिखित बंटवाड़े में अंकित नजरी नक्शा के अनुसार नही कर गलत कर दी गई। लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त में भारी असमानता है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे और कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 08.02.2023 में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। मौका जांच रिपोर्ट अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्री बंटवाड़ा प्रपत्र अनुसार ही मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा होना पाया गया एवं पूर्व नामांतरकरणों की जांच करने पर पाया कि उक्त खसरों में पूर्व में भरे गए ना. सं. 143, 144 में पुश्त पर बने तरमीम के अक्ष में भूल हुई है जिसके आधार पर तरमीम हो गई जो गलत है।

4.विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर जवाब पेश कर आपत्ति जाहिर की एवं कथन किया कि प्रार्थी द्वारा इतने लम्बे समय तथा अन्यत्र भूमि जो संयुक्त होने पर उसका वाद न्यायालय में लाए जाने पर उससे कुन्ठीत तथा दुवेश्ता रखते हुए उसके बाद इतने लम्बे समय से जो मौ[illegible]स्त तथा रकर्ड जो कि पृथक–पृथक है जिसका आवेदन न्यायालय [illegible] आवेदन पेश किया है। जिसके विपरित विप्रार्थी सं[illegible] बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रक[illegible] निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि पक्षकारान की खातेदारी ग्राम चिपड़ी नाडी पटवार क्षेत्र नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खेत खसरा संख्या 341 रकबा 69 बीघा 14 बिस्वा क्षेत्रफल 11.2775 हैक्टेयर है, कि मूल खसरा संख्या 341 रकबा 140 बीघा 09 बिस्वा से प्रार्थी को लिखित बंटवाडा से रकबा 69 बीघा 14 बिस्वा से प्राप्त हुई उक्त भूमि पर प्रार्थी व उसके पिता लिखित बंटवाडा से पहले ही मौका पर काबिज कास्त थे। जिस पर प्रार्थी की रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशु बाडे इत्यादि बने हुए है। लिखित बंटवाडा से प्रार्थी के नाम खसरा संख्या 341 रकबा 69 बीघा 4 बिस्वा व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम खसरा संख्या 341/1 रकबा 70 बीघा 15 बिस्वा कायम किए गए। जिसमें विप्रार्थीगण के द्वारा 05 बिस्वा भूमि पृथक राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण कर दी गई। राजस्व कार्मिकों के द्वारा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खसरा संख्या 341 व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 341/1 की तरमीम कब्जा काश्त, लिखित बंटवाड़े में अंकित नजरी नक्शा के अनुसार नही कर गलत कर दी गई। एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 08.02.2023 से होता है,इस प्रकार प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का ग्राम चिपड़ी नाडी पटवार क्षेत्र नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के मूल खेत खसरा संख्या 341 रकबा 69 बीघा 14 बिस्वा क्षेत्रफल 11.2775 हैक्टेयर से विभक्त होकर कायम हुए नये खसरान् की भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 08.02.2023 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:17 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 25.09.2024 को लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी